प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट

[16/3/2022]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमाक –372

प्रश्न सं. [क्र. 372]

विभाग से उत्तर देने का दिनांक 09 / 03 / 2022

सदन में उत्तर देने का दिनांक 16 / 03 / 2022

सदस्य डॉ. सीतासरन शर्मा

कार्यालय कलेक्टर जिला नर्मदापुरम

क्रमांक/ 3286 /स्था/जिका/विस-372/2022 नर्मदापुरम दिनांक 08/03/22

प्रति,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

विषयः- विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 372 द्वारा श्री सीतासरन शर्मा - शराब पीने वाले शासकीय कर्मचारियों के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक /441/2022/3/1 दिनांक 25.02.2022 ।

--

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे । विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 372 द्वारा श्री सीतासरन शर्मा के प्रश्न का उत्तर बिन्दुवार तैयार आपकी ओर प्रेषित है -

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग द्वारा जून 2021 में जारी आदेशानुसार ऐसे शासकीय कर्मचारी जो शराब या अन्य मादक पदार्थो के सेवन के कारण अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा नहीं करते उनका 50 प्रतिशत वेतन उनके पीड़ित आश्रितों को दिया जावेगा ?	प्रश्नांश (क) से संबंधित जिला नर्मदापुरम की जानकारी निरंक है ।
ख	विगत दो वर्षो में होशंगाबद जिले में कार्यरत ऐसे कितने शासकीय कर्मचारी के आश्रितों द्वारा शराब या अन्य मादक पदार्थो के सेवन के कारण पारिवारिक दायित्व पूरा न करने संबंधी शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है ?	विगत दो वर्षो में जिला कार्यालय नर्मदापुरम में किसी भी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा शराब या अन्य मादक पदार्थो के सेवन के कारण पारिवारिक दायित्व पूरा न करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।
ग	प्रश्नांश ब में उल्लेखित आवेदनकर्ताओं के आवेदन पर प्रश्नांश अ में उल्लेखित आदेश तारतम्य में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां तो किन्-किन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई ?	प्रश्नांश (ग) से संबंधित जिला नर्मदापुरम की जानकारी निरंक है ।

अपर कलेक्टर, 8/3/22
जिला नर्मदापुरम
08/03/22

पृ.क्रमांक/ 3287 /स्था/जिका/विस-372/2022 नर्मदापुरम दिनांक

प्रतिलिपिः- आयुक्त नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

अपर कलेक्टर 8/3/22
जिला नर्मदापुरम